

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

—:: अधिसूचना ::—

राँची, दिनांक—

संख्या—15/सा०अव०—03—02/2022 का.—

/ झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र

संख्या—66, मान्डर (अ०ज०जा०) में विधान सभा उप चुनाव, 2022 को मतदान की निर्धारित तिथि 23.06.2022 (गुरुवार) को संबंधित विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—135(ख) के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश की मंजूरी के संबंध में निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:—

1. किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
2. धारा 135(ख) की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामानतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ना किये जाने की दशा में दी गयी होती।
3. यदि कोई नियोजक धारा 135(ख) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।

सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(ब्रज माधव)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—15/सा०अव०—03—02/2022 का.—3710/राँची, दिनांक—

17/06/2022

प्रतिलिपि— नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई—गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।